

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव
(पीठासीन अधिकारी श्री यक्ष चौधरी, IAS)

राजस्व वाद संख्या 72/2024

अन्तर्गत धारा 53, 188 RT Act.

वादीगण	वनाम	प्रतिवादीगण
नैनुदेवी पत्नी अचलाराम जाति जाट, निवासी काश्मीर तहसील शिव, जिला बाड़मेर		1. मोडा पुत्र हिम्मता 2. लिखमा पुत्र हिम्मता जाति जाट, निवासी शोभासर, काश्मीर 3. शाखा प्रबंधक, आईसीआईसीआई बैंक, कानासर 4. राज. राज्य जरिये तहसीलदार शिव

उपरिथत :- अधिवक्ता वादीनी - श्री बृजमोहन कुमावत।



--:: निर्णय ::--

दिनांक : 05.02.2026

वादीनी अधिवक्ता को विभाजन प्रस्ताव पर सुना एवं पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया गया। विभाजन प्रस्ताव न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री के अनुसार तैयार किया गया है तथा वादीनी अधिवक्ता द्वारा तहसीलदार शिव से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादग्रस्त भूमि विभाजित किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की गई है। अतः तहसीलदार शिव से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री अनुसार होने एवं वादीनी अधिवक्ता को स्वीकार होने से विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

लिहाजा माफिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार वाद स्वीकार किया जाकर तहसील शिव, पटवार मण्डल काश्मीर के ग्राम शोभासर के खेत खसरा नम्बर 997/865 रकबा 11.8411 हैक्टेयर भूमि निम्नानुसार पक्षकारान् के नाम के आगे अंकित मुताबिक पृथक खातेदारी में घोषित की जाती है -

क्र. सं.	नाम खातेदार	राजस्व ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्ट. में)	किस्म	लगान	बरंग
1	नैनुदेवी पत्नी अचलाराम जाति जाट सा. काश्मीर खातेदार	शोभासर	997/865	3.8850	बा.सो.	0.25	बैगनी
2	मोडा पुत्र हिम्मता 503/1966, लिखमा पुत्र हिम्मता 1463/1966 जाति जाट सा. देह खातेदार रहन हिस्सा लिखमा आईसीआईसीआई बैंक शाखा कानासर	शोभासर	997/865	7.9561	बा.सो.	0.46	पीला

तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद करने एवं नक्शा ट्रेस में प्रस्ताव अनुसार परिवर्तन सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते हैं। विभाजन प्रस्ताव अनुसार पक्षकारों को बराबर हिस्सा मिल रहा है। बैंक हित उक्त निर्णय से अप्रभावित रहेंगे। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न प्राप्त नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 05.02.2026 सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(पीठासीन अधिकारी)
(शिव)

सहायक कलक्टर
(SPO)(शिव)